(प्रेस विज्ञप्ति)

एतद् द्वारा, जिला बैतूल (म0 प्र0) के समस्त शस्त्र लायसेंसधारको को सूचित किया जाता है कि, भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला स्तर पर समस्त शस्त्र लायसेंसो का आनलाईन डाटाबेस (National Database Of Arms Licance) तैयार किया जाना है एवं प्रत्येक लायसेंसधारक को विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identification Number) आवंटित किया जाना है। यह कार्य निर्धारित समयावधि दिनांक 1–10–2015 तक पूर्ण किया जाना है। उक्त तिथी के पश्चात् बगैर विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identification Number) वाला कोई भी लायसेंस वैद्य नही होगा। लायसेंसधारको का Database तैयार करने के लिए, आवश्यक जानकारी जुटाने हेतु निम्नानुसार चार प्रकार के प्रपत्र निर्धारित किए गए है।

1–बैतूल जिले से जारी शस्त्र लायसेंसधारको के लिए.	Form- 1
2–अन्य जिलो/राज्य से जारी शस्त्र लायसेंस (जो बैतूल जिले में नवीनीकृत/पंजीबद्ध हुए है) के धारको के लिए.	Form- 2
3– खेल (Sport) के प्रयोजन हेतु स्वीकृत शस्त्र लायसेंस धारको के लिए.	Form- 3
4– संस्थागत (Institutional) हेतु स्वीकृत शस्त्र लायसेंस धारको के लिए.	Form- 4

उक्त प्रपत्र जिला दण्डाधिकारी कार्यालय/पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय/ तहसीलदार/उप तहसील कार्यालय/जिले के समस्त थानो से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते है अथवा जिला प्रशासन की वेबसाईट www.betul.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते है। जिले के समस्त शस्त्र लायसेंसधारक अपने से संबंधित प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर दिनांक 31–10–2014 तक जिला दण्डाधिकारी कार्यालय की शस्त्र लायसेंस शाखा में प्रस्तुत करें। फैक्स/ई मेल/ डाक के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र/ जानकारी स्वीकार नहीं किए जायेंगे। लायसेंसधारको से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधी के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से प्रपत्र कार्यालय में जमा करें। निर्धारित प्रपत्र के साथ शस्त्र लायसेंस की छायाप्रति एवं लायसेंसधारक का वर्तमान स्थिति का रंगीन फोटो भी प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथी तक उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रपत्रो में जानकारी प्रस्तुत नहीं करने वाले लायसेंसधारको का Database तैयार नहीं हो सकेगा एवं दिनांक 1–10–2015 के पश्चात् उनके लायसेंस अवैद्य हो जायेंगे।

21/8/2015

(राजेश प्रसाद मिश्र)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
बैतूल.